उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत कम्यूनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु शक्ति दीदी (महिला बीट एवं महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद में विभिन्न स्थानों पर संचालित कराये गये आउटरीच प्रोग्राम। नये कानूनों में महिलाओं को प्रदान किये गये अधिकारों की भी दी गई जानकारी...।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज दिनांक 08.07.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में शक्ति दीदी (महिला बीट तथा महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद के समस्त थानों पर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत आबादी क्षेत्र, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, मेलों एवं गांव में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं यथा- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बैकिंग कॉरस्पोडेंट सखी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व राष्ट्रीय पोषण मिशन के संबंध मे विस्तृत जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त उनके साथ किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर उनकी सहायतार्थ नये कानूनों में महिला सम्बन्धी अपराधों के प्रति उनके अधिकारों की भी जानकारी प्रदान की गयी है साथ ही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090,1098 की जानकारी व उनके प्रयोग के बारे में विस्तृत रुप से बताया गया एवं साइबर अपराध होने पर साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये जाने के बारे में भी बताते हुए जागरुक किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान पीडितों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया, प्राप्त जन समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित को दिये आवश्यक निर्देश-

आज दिनांक 08.07.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी। जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना जा रहा है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं को लेकर आये उन सभी की समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाये जाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में सभी अधीनस्थों को निर्देशित किया गया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर पर हो सकता है उन सभी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण थाना स्तर पर ही कराना सुनिश्चित किया जाये किसी भी फरियादी को परेशान न किया जाये; सभी से सम्मान पूर्वक बर्ताव किया जाये, निर्देशित किया गया कि घटना की तथ्यात्मक जानकारी करते हुये गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये याद रखे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिये, किसी भी पीड़ित से गलत व्यवहार की सूचना प्राप्त होने पर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी ।

सराहनीय कार्य जनपद महोबा-

ब्लाइंड मर्डर केस का सफल अनावरण, पुलिस मुठभेड़ में हत्यारा गिरफ्तार।

थाना श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भण्डरा निवासी युवक की हत्या कर घटना को अंजाम देने वाला शातिर वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से हत्या की घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल सहित अवैध शस्त्र एवं कारतूस बरामद। अभियुक्त के विरुद्ध मध्य प्रदेश में अवैध शस्त्र, चोरी, अवैध गांजा सहित विभिन्न अभियोग हैं दर्ज-

थाना श्रीनगर क्षेत्रअन्तर्गत ग्राम भण्डरा निवासी जयपाल सिंह पुत्र हुकुम सिंह की दिनांक 01/02.07.2024 की रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में पुलिस उच्चाधिकारियों फारेंसिक टीम के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी एवं प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना श्रीनगर में मु.अ.सं. 128/24 धारा 103(1)/238 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा इस ब्लाइंड मर्डर केस का संज्ञान लेते हुये घटना के सफल अनावरण किये जाने व सम्बन्धित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौंड के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय स्वॅाट/सर्विलांश एवं थाना श्रीनगर की संयुक्त टीमों का गठन किया गया। आज दिनांक 08.07.2024 को घटना के अनावरण व घटना को कारित करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य संकलन हेतु गठित पुलिस टीमें घटना स्थल भण्डरा बैरीताल मंदिर परिक्रमा पुरानी बेदी के पास सुरागरसी, पतारसी हेतु पहुंची हुई थी कि इसी दौरान रात्रि में टार्च की रोशनी में एक व्यक्ति आता दिखा, जिसको रोकने का प्रयास किया गया कि तभी एकाएक जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। इसी दौरान पुलिस टीम द्वारा अपनी आत्मरक्षार्थ अभियुक्त पर फायरिंग की गयी जिसमें एक गोली उसके पैर में लगी जिससे वह वहीं पर गिर पड़ा, पास जाकर उसकी जामातलाशी लेते हुए उसका नाम पता पूछा गया उसने अपना नाम बत्ती यादव उर्फ अरविंद पुत्र वासुदेव यादव उम्र करीब 25 वर्ष निवासी छत्रसाल नगर छतरपुर थाना सिविल लाइन जनपद छतरपुर मध्य प्रदेश बताया, अभियुक्त की जामातलाशी से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 अदद डण्डे बरामद हुए । घायल अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेष अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसने ही अपने साथी हिमांशु रैकवार पुत्र रामदास रैकवार उम्र करीब 23 वर्ष निवासी मोहल्ला शान्ति नगर कॉलोनी थाना सिविल लाइन जनपद छतरपुर मध्य प्रदेश के साथ मिलकर जयपाल की हत्या की थी। हम तीनों लोग घटना वाले दिन शराब पिये थे जिससे शराब के नशे में विवाद हो गया जिससे हम लोग ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था, उसके पास से जो 02 अदद डण्डे मिले हैं उन्हीं से हम दोनो ने जयपाल की हत्या की थी। आज मैं इन डण्डों को छिपाने के उद्देश्य से आया था।

इस प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध थाना श्रीनगर में क्रमशः मु.अ.सं. 133/24 धारा 109 बी.एन.एस. (पुलिस मुठभेड़) तथा मु.अ.सं. 134/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी का विवरण-

-01 अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा एवं 01 अदद खोखा कारतूस नाजायज 315 बोर नाजायज

-आलाकत्ल 02 अदद डण्डा सम्बन्धित मु.अ.सं. 128/24 धारा 103(1) बीएनएस

आपराधिक इतिहास- अभियुक्त बत्ती यादव उर्फ अरविंद पुत्र वासुदेव यादव उम्र करीब 25 वर्ष निवासी छत्रसाल नगर छतरपुर थाना सिविल लाइन जनपद छतरपुर मध्य प्रदेश

1. मु .सं.अ.197/16 धारा 294/323/336/34/452/459/भादवि 506
2. मु .सं.अ.423/16 धारा 294/323/34/341/ भादवि 506
3. मु .सं.अ.231/17 धारा 294/327/427/452/ भादवि 506
4. मु .सं.अ.280/17 धारा 27/ शस्त्र अधिनियम 25
5. मु .सं.अ.240/18 धारा 294/323/325/341/506/भादवि 34
6. मु .सं.अ.399/18 धारा 27/शस्त्र अधिनियम 25
7. मु .सं.अ.151/19 धारा 8/ एनडीपीएस अधिनियम 20
8. मु .सं.अ.152/19 धारा की 1990 राज्य सुरक्षा अधिनियम .प्र.भादवि एवं म 188 धारा 14
9. मु .सं.अ.529/19 धारा 294/323/34/341/भादवि 506
10. मु .सं.अ.10/23 धारा 380/भादवि 457
11. मु .सं.अ.128/24 धारा 103(1)/बीएनएस थाना श्रीनगर जनपद महोबा। 238
12. मु .सं.अ.133/24 धारा थाना श्रीनगर जनपद महोबा। (पुलिस मुठभेड़) बीएनएस 109
13. मु .सं.अ.134/24 धारा 3/ 25आर्म्स एक्ट थाना श्रीनगर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

थाना श्रीनगर पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री शिवपाल सिंह, SHO थाना श्रीनगर महोबा
2. व3 कन्हैया लाल 0नि0उ0. प्रशिक्षु उविशाल वाजपेई 0नि0
4. कां0 हरिओम यादव 5. कां0 अजय सोनकर 6. कां0 राघवेन्द्र सिंह

जनपदीय स्वॉट पुलिस टीम-

1. उप्रभारी स्वॉट टीम ,रवि कुमार सिंह 0नि0
2. उ विवेक कुमार यादव 0नि0
3. कां4 रंजीत सिंह 0. कां5 निर्भय सिंह 0. कांकुलदीप यादव 0

थाना कबरई की पुलिस टीम ने

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अवैध शस्त्र की निर्माण, बिक्री व परिवहन की रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.07.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी टीम के उ0नि0 प्रशान्त दीक्षित द्वारा एक नफर अभियुक्त चमन उर्फ रईस पुत्र स्व0 वाहिदा उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मु0 विशालनगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद करते हुए महोबा बाईपास रोड़ के पास कस्बा व थाना कबरई से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 180/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

चमन उर्फ रईस पुत्र स्व0 वाहिदा उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मुहल्ला विशालनगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रशान्त दीक्षित
2. हे0का0 रामकरन सिंह
3. का0 सुनील कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 08.07.2024
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 08.07.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी ।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में प्रभारी यातायात द्वारा चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान, वाहन चालकों को पढाया यातायात नियमों का पाठ...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने व यातायात व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने के उद्देश्य से निरन्तर सघन चेकिंग/जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 08.07.2024 को प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा विशेष अभियान के तहत यातायात पुलिस टीम द्वारा जनपद के विभिन्न स्थलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया साथ ही दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु बिना हेलमेट/शीटबेल्ट लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध अभियान चलाया गया व दुर्घटना से बचाव हेतु हेलमेट/शीटबेल्ट के महत्व को बताते हुए यातायात नियमों का पाठ पढाया गया।

इसी क्रम में शहर के मुख्य स्थानों पर काली फिल्म, हूटर, दोषपूर्ण नम्बर प्लेट, हेलमेट, सीट बेल्ट की चेकिंग की गई एवं चालान किए गए। यातायात पुलिस टीम द्वारा आमजनमानस/वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक करते हुए सभी को यातायात नियमों का पालन किये जाने की अपील की जा रही है, जिससे जनपद महोबा में सड़क दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सके।

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान चोरी एवं संगठित अपराध में लिप्त 04 नफर अभियुक्तों को एक पिकअप वाहन में चोरी की 04 राशि भैंसो सहित 03 अदद अवैध तमंचा/कारतूस एवं 04 अदद मोबाइल व नगद रुपयों की बरामदगी करते हुए गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 08.07.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रविकान्त गौड, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री गणेश कुमार द्वारा गठित की गयी उ0नि0 मधुरेश कुमार त्रिपाठी व उ0नि0 राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त एवं चेकिंग के दौरान अमानवीय रुप से पशुओं को पिकअप में लादकर ले जा रहे चोरी की 04 राशि भैंसों की बरामदगी की गयी है। इस चोरी एवं संगठित अपराध में संलिप्त 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी की 03 राशि भैसें व 01 राशि भैंस (पडिया) व 03 अदद तमंचा/जिन्दा कारतूस सहित 2200 रुपये नगद तथा 04 अदद मोबाइल फोन व वाहन पिकअप रजि नं0 UP91T8088 की बरामदगी की गयी है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना चरखारी में मु0अ0सं0 157/2024 धारा 317(2)/112(2) BNS व 11(1)घ, 11(1)ड़, पशु के प्रति क्रुरता निवारण अधि0 1960 तथा बरामद अवैध तमंचा/कारतूस के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना चरखारी में क्रमशः मु0अ0सं0 158/2024, मु0अ0सं0 159/2024, मु0अ0सं0 160/2024 धारा 3/25 ARMS ACT का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1.उ0नि0 मधुरेश कुमार त्रिपाठी 2.उ0नि0 राजेश कुमार

3. हे.का. सूरज सिंह चौहान 4. कां0 नितिन कुमार 5. कां0 चालक जयदीप पटेल 6.हे0कां0 अजीत कुमार तिवारी 7. हे0कां0 संदीप कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त/बरामदगी विवरण- समस्त निवासीगण जैतपुर, बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।

(1) संतोष यादव पुत्र स्व0 मंगल सिंह उम्र करीब 38 वर्ष के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज एवं 2200 रुपये नगद तथा एक अदद मोबाइल (2) विजय कुशवाहा पुत्र प्रेमनारायण कुशवाहा उम्र करीब 30 वर्ष के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर नाजायज व एक अदद मोबाइल (3) रामकुमार कुशवाहा पुत्र श्यामलाल कुशवाहा उम्र करीब 29 वर्ष के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर नाजायज व एक अदद मोबाइल (4) दिलीप रैकवार पुत्र भुजवल रैकवार उम्र 18 वर्ष की जामा तलाशी से एक अदद मोबाइल व वाहन पिकअप रजि नं0 UP91T8088 बरामद। समस्त अभियुक्तों के कब्जे से कुल 04 राशि चोरी की भैंसे बरामद।